



पुनरीक्षण याचिका क्रमांक / 16

प्रस्तुति दिनांक : 18-05-2016

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

निष्ठा - 1597-PBR-16

शेख करीम पिता शेख सुपडू मंसूरी

उम्र :- वयस्क, धंधा काश्तकारी

निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर

.....याचिकाकर्ता / आवेदक

वि रू द्ध

1. शेख चांद पिता शेख भिखारी मंसूरी
उम्र :- वयस्क वर्ष, धंधा काश्तकारी

2. शेख रज्जाक पिता शेख भिखारी मंसूरी
उम्र :- वयस्क वर्ष, धंधा काश्तकारी
दोनों निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

.....प्रत्यर्थागण / अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :-

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त
तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक
6अ-70/10-11 में पारित आदेश दिनांक 18.03.16 से
असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा
निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी
याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

8-5-2016
वना 15/5/16

शेख करीम पिता शेख सुपडू मंसूरी
उम्र :- वयस्क वर्ष, धंधा काश्तकारी
निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

R 1597-8/2/16 22/1/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.2016	<p>आवेदक की ओर से श्री हेमंत मंगी अभिभावक उपस्थित। उनके द्वारा संक्षम-यायाकम प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण वापिस किया जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संक्षम-यायाकम में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>